न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश जोशी आर.ए.एस.

वाद संख्या 71/दावा /2017

1– राजेश शर्मा आत्मज श्री रामनिवास आयु 27 वर्ष जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्रम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)
2– शिवराज शर्मा दत्तक पुत्र गोपाल आयु 23 वर्ष जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्रम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

–वादीगण

बनाम

1– गोपाल आ0 श्री हरदेव उम्र 78 वर्ष जाति ब्राहाम्ण निवासी सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)
2– राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् –अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :–
1– श्री लीलाधर सिंह एवं नन्दसिंह सौलंकी अधिवक्ता वादीगण
2– प्रतिवादी सं0 1 गोपाल स्वंय उपस्थित।
3– पेरोकार सरकार राज्य की ओर सें।

दिनांक :– 29.11.2017

– निर्णय :–

1– वादीगण की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 27.9.2017 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया था।

2– वाद पत्र के संक्षिप्त : तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता, पटवार क्षेत्र सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 के कोई पुत्र–पुत्री जिन्दा एवं मृत संतान नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 2 को गोद लिया था वर्तमान में वादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 1 के दत्तक पुत्र की हैसियत से प्रतिवादी सं0 1 के पास निवास कर रहा है। वादी संख्या 2 को दत्तक पुत्र होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 की सम्पत्ति में नैसर्गिक पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो चुके है।

आज से एक वर्ष पूर्व प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 2 की सहमति से कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा में स्थित है में सें 1/2 हिस्से का अर्थात् 14 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि का मौखिक दान गवाहान की उपस्थिति में मौके पर जाकर उपरोक्त कृषि भूमि की मिट्टी को कपड़े में बांध कर वादी संख्या 1 राजेश को दान कर दिया था वादी संख्या 1 के द्वारा जो प्रतिवादी सं0 1

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

के द्वारा दिये गये उपरोक्त दान को स्वीकार कर लिया था मौके पर कब्जा सम्भला दिया था साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त किये गये दान के सम्बन्ध में वादी संख्या 1 को यह अधिकार दिया था कि वादी संख्या 1 उपरोक्त दान की गई कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करे, अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाये, प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये वाद पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित अनुसार दान का एक स्मृति पत्र का दस्तावेज भी प्रतिवादी संख्या के द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.9.2017 को निष्पादित किया गया। वादी संख्या 1 राजेश वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पर दान में प्राप्त 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है दान के आधार पर वादी संख्या 1 को कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा के 1/2 हिस्से पर इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में भूमि में 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 1 माननीय न्यायालय से अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का गोद पुत्र है जिसको कि हिन्दु विधि अनुसार प्राकृतिक पुत्र के समान अपने गोद पिता प्रतिवादी संख्या 1 की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है वाद पत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा हिन्दू विधि अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्र को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त होता है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण उसके 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 2 का तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 का हक व अधिकार था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि में सें अपने 1/2 हिस्से का दान वादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक होने के कारण तथा वादी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दू विधि से शासित होने के कारण दान के पश्चात् शेष रही भूमि प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व अपने हक व अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने का तथा तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादीगण माननीय न्यायालय से क्रमशः दान के आधार पर तथा शेष रही भूमि पर गोदपुत्र की हैसियत से पैतृक कृषि भूमि जो कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अनुसार माननीय न्यायालय से अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वाद प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 24.9.2017 को विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के पक्ष में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने अनुचित प्रभाव में आकर वादीगण को वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेचान, करने की धमकी लगाई। प्रतिवादी संख्या 2 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जो कि फोरमल पक्षकार है जिसके हित वाद के निर्णय से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे है अन्ततः वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया कि वादी संख्या 1 के पक्ष में कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है के 1/2 हिस्से पर वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदारी अधिकार घोषित किया जावे तथा तद्अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने बाबत् तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे। इसी प्रकार वादी संख्या 2 के पक्ष में कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है उक्त पैतृक कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत् तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

3– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 16 में वर्णित इबारत को स्वीकार किया तथा वादीगण का वाद, वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार निर्णय व डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गई। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर न्यायोचित निर्णय करने की प्रार्थना की गई।

4– वाद पत्र व जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक कायम किये गयें –

(i) आया वादी सं0 1 कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता में विस्थित है के 1/2 हिस्से पर वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी संख्या 1

(ii) आया वादी संख्या 2 कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता में विस्थित के 1/2 हिस्से पर वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी संख्या 2

(iii) अनुतोष।

5– वादीगण की ओर से राजेश पी.डब्लू –1, शिवराज पी.डब्लू 2 का साक्ष्य में शपथपत्र पेश किया तथा साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिनमें प्रदर्श –1, जमाबन्दी सम्वंत 2069–2072, प्रदर्श – 2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2069–2072, प्रदर्श – 3 दानपत्र व प्रदर्श – 4 गोदपत्र।

6– हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिनका विवेचन एवं विश्लेषण नियत विवाधको के क्रम में किया जा रहा है :–

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी

विवाधक संख्या– 1

7– विवाधक संख्या 1 वादी को साबित करना था इस सम्बन्ध में वादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित किया कि प्रतिवादी सं0 1 ने वादी संख्या 2 की सहमति से कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बूंदी में विस्थित है में से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का मौखिक दान वादी संख्या 1 राजेश के पक्ष में कर दिया था तथा दान का एक स्मृति पत्र का दस्तावेज भी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 20.9.2017 को निष्पादित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब मे दान के आधार पर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार दिये जाने से सहमति प्रदान की गई तथा वादीगण के वाद पत्र को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार किया गया। तथा वादी संख्या 1 ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र पेश किया तथा दान का स्मृति पत्र प्रदर्श –3 पेश किया तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई खण्डनात्मक साक्ष्य पेश नही की गई। उपरोक्त साक्ष्यों की रोशनी में वादी संख्या 1 इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है कि वाद पत्र कि चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से का दान प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी संख्या 1 के पक्ष में किया था जिसके आधार

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

पर वादी सं0 1 उपरोक्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है साथ ही वादी के वाद पत्र को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो स्वीकृति के आधार निर्णय किये जाने सम्बन्धि विधि का अवलोकन करे जो इस प्रकार है :–

"order 12 Rule 6 c.p.c"

{ Rule 6 judgment on admissions -(1) where admissions of fact have been made either in the pleading or other wise, whether orally or in writing, the court may at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admission."

साथ ही **R.B.J (S) 1998 P.N-615**

राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह

उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है –

Rajasthan Tenancy Act. 1955 - section 88 - khatedar tenant can transfer his khatedari rights on the basis of compromise .

उपरोक्त न्यायिक नजीर में प्रतिपादित सिद्वान्तों तथा प्रतिवादी सं0 1 कि स्वीकृति के आधार पर यह विवाधक वादी सं0 1 के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या – 2

8. विवाधक संख्या 2 वादी संख्या 2 को साबित करना था इस सम्बन्ध में वादी सं0 2 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित किया कि प्रतिवादी सं0 1 के कोई सन्तान नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 2 को गोद लिया था तब से वादी सं0 2 प्रतिवादी सं0 1 के पास पुत्रवत रह रहा है तथा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी सं0 1 को जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है प्रतिवादी सं0 1 ने वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा वादी सं0 1 के पक्ष में दान कर दिया है तथा शेष 1/2 हिस्सा पर वादी सं0 2 गोद पुत्र होने के कारण खातेदारी अधिकार प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी है प्रतिवादी सं0 1 ने उपरोक्त तथ्यों को अपने जवाब में स्वीकार किया तथा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर वादी सं0 2 शिवराज को खातेदारी अधिकार दिये जाने में सहमति प्रदान की तथा वादी सं0 2 ने अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र पेश किया व प्रदर्श –4 गोद पत्र पेश किया।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादी के अभिवचन तथा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथपत्र का खण्डन नहीं किया। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 ने वादी सं0 2 शिवराज को अपना गोद पुत्र स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में न्यायालय वादी सं0 2 को प्रतिवादी सं0 1 का गोद पुत्र होने की उपधारणा करता है तथा यहा यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है ऐसी स्थिति में वादी सं0 2 का वाद वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्से पर जन्म से ही हक व अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं0 1 को वादी सं0 2 को खातेदारी अधिकार दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है ऐसी स्थिति में यह विवाधक वादी सं0 2 के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष –

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

9. जैसा की विवाद्यक संख्या 1 व 2 के निष्कर्षो से हमारे सामने यह स्थिती आती है वादी संख्या 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से का दान प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा किया गया है जिसके सम्बन्ध में वादी संख्या 1 ने प्रदर्श– 3 दान पत्र भी प्रदर्शित करवाया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भी दान पत्र के सन्दर्भ में स्वीकृति है तथा खातेदारी हक व अधिकार दिये जाने में सहमति है, उक्त तथ्यों को वादी संख्या 1 सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है ऐसी स्थिति में वादी संख्या 1 कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो कि वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है पर 1/2 हिस्सें का हक व अधिकार रखता है तद्नुसार वादी संख्या 1 उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकार पाया जाता है। वादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र है जिसके सम्बन्ध ने वादी संख्या 2 ने गोदपत्र प्रदर्श–4 भी प्रदर्षित करवाया है तथा वाद वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी को भी प्रदर्षित करवाया है। वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 का गोद पुत्र है यह प्रतिवादी संख्या 1 की स्वीकृत स्थित है तथा वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है यह भी प्रतिवादी की स्वीकृत स्थिति है तो ऐसी स्थिति में कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो कि वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है के 1/2 हिस्से पर हक व अधिकार रखता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की भी यह स्वीकृत स्थिति है तद्नुसार वादी संख्या 2 उपरोक्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

–::आदेश::–

परिणामस्वरूप वादीगण का यह वाद स्वीकृत किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा में से, खसरा संख्या 337 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जो कि वाके ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को क्रमंश–1/2 –1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 तथा वादी संख्या 2 का उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में 1/2–1/2 हिस्से पर खातेदार के रूप में नाम अमल दरामद करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करे।

वाद व्यय पक्षकार अपना– अपना वहन करेगे उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.17

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner